दिनांक–21.05.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG में वर्त्तमान में अधिसूचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को भी सम्मिलित करने एवं एतद् संबंधी आदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

   मुख्य अभियंता (यांत्रिक), राँची

2. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं–

क्र०	विषय / कार्य विवरणी	निर्णय
1.	उड़नदस्ता जाँच का रिपोर्ट एवं रिपोर्ट का प्रपत्र।	विमर्श नहीं हुआ। दिनांक 28.05.2013 के बैठक में उपस्थापित किया जाय। **(Action - S.E, Flying Squad)**
2.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	किसी दक्ष Chattered Accountant से सम्पर्क कर दिनांक 28.05.2013 के पूर्व संलेख तैयार करने का निदेश। **(EIC –II)**
3.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	7 चेकडैम में काम प्रारम्भ। शेष 5 में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने का आदेश। अभियंता प्रमुख–II को प्रत्येक CSG की अगली बैठक में प्रगति बताने का निदेश। अभियंता प्रमुख–II स्वयं स्थल निरीक्षण करें। **(EIC – II)**
4.	स्वीकृत्यादेश की प्रगति एवं आवंटन निर्गत की प्रक्रिया।	मरम्मति एवं संपोषण, Capacity building, प्रशिक्षण, E-Governance से संबंधित स्वीकृत्यादेश (योजना एवं गैर–योजना दोनों मदों से संबंधित) 28.05.2013 तक निर्गत किये जाये। **(EIC – I/II)**
5.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	निविदा समिति द्वारा संवेदक से दर वार्त्ता उपरान्त 15.795 करोड़ राशि पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची इस कार्य का तकनीकी स्वीकृति दिनांक 28.05.2013 तक देंगे। (i) कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन एवं आवंटन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर कार्रवाई करेंगे। **(CE, WRD, Ranchi)**
6.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	(i) दो माह के अन्दर सर्वेक्षण एवं कार्य पूर्ण करायेंगे। (ii) इस कार्य के प्रारम्भ होने की सूचना अगली बैठक में देंगे। **(CE, WRD, Ranchi)**

7.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	नोड्ल पदाधिकारी Follow-up करें। दिनांक 26.05.2013 को दिल्ली जाने की सूचना। दिनांक 28.05.2013 के पहले अनुपालन करेंगे। **(Nodal officer, Kanhar HPC)**
8.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	(i) दिनाक 20.06.2013 को उक्त भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया जाय। (ii) वर्त्तमान कार्यालय को अन्यत्र व्यवस्थित करना है। **(CE, WRD, Ranchi)**
9.	धुर्वा में Scrap Material की नीलामी	श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जिन्होंने 16.00 लाख में ही इस सामग्री को बेचने का अनुशंसा की थी, जो सामग्री अब 42.00 लाख में बिक्री की जा रही है। कार्यपालक अभियंता, श्री उमेश कुमार सिंह एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों पर विभागीय निगरानी द्वारा कार्रवाई कर 28.05.2013 को CSG की बैठक में संयुक्त सचिव, (निगरानी) द्वारा उपस्थापित किया जायेगा। **(J.S. (Vigilance)**
10	वाल्मी का गठन	मुख्य अभियंता(मो०) ने बताया कि संचिका विधि विभाग से वापस आ गई है। विशेष सचिव से विमर्श कर आगे की कार्रवाई की जाय। **(CE, Monitoring)**
11.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	विमर्श नही हुआ। दिनांक– 28.05.2013 की बैठक में (CE, C.D.O.)
12.	डैम सेफ्टी सेल का गठन	डैम सेफ्टी सेल गठन की प्रक्रिया त्वरित करने का निदेश। इस कार्य के नोड्ल पदाधिकारी CE, Monitoring होंगे। इस संबंध में संलेख 28.05.2013 तक प्रस्तुत किया जाय। **(CE, Monitoring)**
13.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	Emergency Flood कार्य हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन एवं अन्य शक्तियों के संबंध में संलेख तैयार कर उपस्थापित है। विभागीय अनुमोदन पश्चात् आदेश निर्गत करें। (EIC- I)
14.	श्री मोद नारायण मंडल मामले से संबद्ध निर्णय।	अगली बैठक में रखा जाय। (J.S. [illegible]e))
15.	विभागीय अभियंताओं की सेवा वाह्य विभाग को भेजने के सम्बन्ध में	प्रतिनियुक्ति के समय प्रतिनियुक्ति की शर्तें [illegible] कर प्रतिनियुक्त किया जाये। प्रतिनियुक्ति अवधि में [illegible]ता पर कार्यवाही, वही विभाग करे, जहाँ प्रतिनियु[illegible] इस

	निर्णय	हेतु एक संलेख सरकार के अनुमोदन हेतु लाया जाये। (J.S. (Vigilance))
16.	वर्ष 2013–14 में सुवर्णरेखा नदी के बाँयें तट पर लक्ष्मण नगर गाँव के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	अभियंता प्रमुख–I आवश्यक कार्रवाई करेंगे। (EIC- I)
17.	विभागीय कार्यालय एवं गोदाम में पुराना एवं बिना उपयोग के पड़े निम्न सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई। (i) पुरानी गाड़ी (ii) Scrap Materials (iii) कार्यालय में पड़ा पुराना फर्निचर एवं अन्य कार्यालय सामग्री (iv) विभागीय गोदाम में बिना व्यवहार पड़े हयूम पाईप एवं अन्य सामग्री	28.05.2013 तक दोनों EIC सभी जगह पड़े सामानों का inventry प्रस्तुत करें। (EIC- I/II)
18.	चाण्डिल डैम के डाउन स्ट्रीम में स्वर्णरेखा नदी पर Adhunik Power and Natural Resources Ltd. द्वारा पूर्व निर्मित intake well के समीप weir का निर्माण करने का प्रस्ताव।	CWPRS से इस संबंध में study कराई जाय। (EIC- I)
19.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा जलाशय एवं अन्य स्रोत से Moonson अवधि के लिए जल उपयोग के संबंध में मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।	इस संबंध में एक तकनीकी समिति अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन उपस्थापित करें। CE (M)
20.	हटिया सिंचाई कॉलनी क्षेत्र का Comprehensive development master Plan तैयार करने के लिए Consultant चयन हेतु PWD भवन के सूचीबद्ध Consultants का Presentation	निम्नांकित सूचीबद्ध Consultants द्वारा Presentation प्रस्तुत किया गया :– (i) Axis, Ranchi (ii) Chadda & Associates, Ranchi (iii) Santosh Shekhar, Ranchi

21.	Getalsud एवं चांडिल सिंचाई कॉलनी में Echo/Neko Park निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।	E.o.I. के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराने का निर्णय। इस हेतु JINFRA से सम्पर्क किया जाय। **(CE, WRD, Ranchi/CE, Chandil Complex)**
22.	माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा चिन्हित, योजनाओं को पूर्ण करने का कार्यक्रम।	अभियंता प्रमुख– I & II योजनाओ के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन देंगे। **(EIC- I/II)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

24/5/13

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना / (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

EOI

(अशाक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

EOI

(अशाक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

EOI

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

Uaiag 2/PMC/CSG-69/2011 419 / राँची/दि० 22.5.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)